



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 9, 2003/आश्विन 17, 1925

No. 493]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 9, 2003/ASVINA 17, 1925

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2003

सा.का.नि. 799(अ).—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 की उप-धारा (2) के खण्ड (त) तथा (थ) द्वारा प्रदत्त शब्दियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 17-3-2003 की अधिसूचना सं. सा०का०नि० 220 (ई) में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

3 (घ) नियम में, “राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र” शब्द के लिए “केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र” प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 9(2)/02-ईसी]

एस० लक्ष्मीनारायणन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, 3rd October, 2003

G.S.R. 799(E).—In exercise of the powers conferred by Clauses (p) and (q) of Sub-section (2) of Section 87 of the Information Technology Act, 2000(21 of 2000), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification No. G.S.R. 220(E) dated 17-3-2003 namely :—

In rule 3(d), for the word “State Government/Union Territories” the words “Central Government/State Government/Union Territories” shall be substituted.

[No. 9(2)/02-EC]
S. LAKSHMINARAYANAN, Addl. Secy.